संख्या-39/2019/1026/12-5-2019-100(9)/2009

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उ0प्र0, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊः दिनांक 08 अगस्त, 2019**

विषयः-मृदा में सूक्ष्म तत्वों की कमी को दूर करने एवं भूमि सुधार हेतु जिप्सम वितरण की योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-भू0सं0/अभि0/81/2019-20, दिनांक 14 जून, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मृदा में सूक्ष्म तत्वों की कमी को दूर करने एवं भूमि सुधार हेतु जिप्सम वितरण की योजना को स्थायी रूप से कृषि विभाग में संचालित करने के लिए निम्न विवरण के आधार पर श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

2- जिप्सम एक खनिज है जिसमें CaSO4 लगभग 70 प्रतिशत होने से सूक्ष्म तत्व गंधक (सल्फर) एवं कैल्शियम प्रचुरता में पाया जाता है। इसके प्रयोग से मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में सुधार होता है जिससे फसलों के उत्पादन, उत्पादकता एवं गुणवत्ता में वृद्धि होती है। जिप्सम में विद्यमान सल्फर एवं कैल्शियम एवं अन्य सूक्ष्म तत्व भूमि की उर्वरा शक्ति के बढ़ाने में सहायक होते है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत शासनादेश सं0-2066/12-2-2012-बजट-8/2010 दिनांक 17.07.2012 के द्वारा वर्ष 2012 से 2017 की अवधि के लिये मृदा में सूक्ष्म तत्वों की कमी को दूर करने एवं भूमि सुधार हेतु जिप्सम वितरण की योजना स्वीकृत की गई थी। विशेष तौर पर जिप्सम के प्रयोग से दलहनी एवं तिलहनी फसलों के उत्पादन में वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुये योजना को स्थायी रूप से आगामी वर्षों में कृषि विभाग में चलाया जाना आवश्यक है।

1- भूमि में गन्धक की कमी के कारण पड़ने वाले दुष्प्रभावः-

1. नई पत्तियॉ पीली पड़ जाती है जो बाद में सफेद हो जाती है।
2. तना छोटे कमजोर तथा पीले पड़ जाते है।
3. पौधों की बढ़वार रूक जाती है।

2- जिप्सम वितरण का उद्देश्य एवं लाभः-

1. क्षारीय/ऊसर भूमि को पुनः खेती योग्य बनाने में।
2. जिप्सम में विद्यमान सूक्ष्म तत्वों के प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ावा।
3. भूमि के पी0एच0 मान में संतुलन।
4. मिट्टी की संरचना में सुधार।
5. पौधो में कैल्शियम एवं सल्फर की कमी दूर करने में सहायक।
6. जिप्सम के उपयोग से फसल के उत्पादन में वृद्धि।

3- योजना का कार्यक्षेत्रः-प्रदेश के समस्त 75 जनपद।

4 - योजनान्तर्गत देय सुविधायेंः-

भारत सरकार की संचालित योजनाओं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन0एफ0एस0एम0), एन0एफ0एस0एम0 ऑयल सीड्स, पूर्वी उ0प्र0 में हरित क्रान्ति के विस्तार की योजना (बी0जी0आर0ई0आई0) के अन्तर्गत 75 प्रतिशत अनुदान पर जिप्सम वितरण का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

कार्य कराया जाना है जिसमें भारत सरकार की योजनाओं से 50 प्रतिशत अनुदान केन्द्रांश के रूप में तथा 25 प्रतिशत अनुदान राज्य सेक्टर की मृदा में सूक्ष्म तत्वों की कमी को दूर करने एवं भूमि सुधार हेतु जिप्सम वितरण की योजना से वहन किया जायेगा। ऐसे 32 जनपदों जिनमें जिप्सम की अधिक मांग होती है, में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना(आर0के0वी0वाई0) के अन्तर्गत इंटीग्रेटेड डेवलपमेन्ट प्रोग्राम फार जिप्सम डिस्ट्रीब्यूशन की योजना से 12348 मै0टन के लिये 50 प्रतिशत की धनराशि हेतु 330.30 लाख का प्राविधान कर जिप्सम की उपलब्धता सुनिश्चत करायी जायेगी। प्रदेश में वितरित किये गये मृदा स्वास्थ्य कार्ड में दिखाई गयी स्थिति कि किस भूमि में किस-किस तत्व की कमी है, के अनुसार ही जिप्सम किसानों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

5- जिप्सम वितरण हेतु कृषकों की पात्रता:-

योजना के अन्तर्गत समस्त श्रेणी के पंजीकृत कृषक अनुदान का लाभ पाने के लिए हकदार होंगे, लेकिन प्राथमिकता लघु एवं सीमान्त कृषकों को दी जायेगी एवं किसी एक कृषक को 02 हेक्टेयर की सीमा तक ही जिप्सम उपलब्ध कराया जायेगा।

6- अनुदान का भुगतान:-

जिप्सम पर अनुदान का भुगतान पंजीकृत लाभार्थियो को डी0बी0टी0 के माध्यम से किया जायेगा। कृषि बीज भण्डार पर जिप्सम के मूल्य की कुल धनराशि भुगतान कर लाभार्थियों द्वारा जिप्सम प्राप्त किया जायेगा जिसे नियमानुसार बीज भण्डार के कैशबुक में लेते हुये सम्बन्धित जिले के उप कृषि निदेशक द्वारा यू0पी0एग्रो को भुगतान किया जायेगा। उप कृषि निदेशक द्वारा केन्द्रांश एवं राज्यांश के अनुमन्य अनुदान का भुगतान सम्बन्धित पंजीकृत लाभार्थी के खातें में डी0बी0टी0 के माध्यम से किया जायेगा।

7- योजना का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण:-

जिप्सम का मूल्य प्रत्येक वर्ष यू0पी0एग्रो द्वारा निर्धारित किया जायेगा। योजना के अन्तर्गत जिप्सम की आपूर्ति कृषि निदेशक की मांग पर यू0पी0एग्रो द्वारा सम्बन्धित जनपदों के विक्रय केन्द्रों पर उपलब्ध करायी जायेगी। योजना का क्रियान्वयन जनपदीय उप कृषि निदेशक/जिला कृषि अधिकारी की देखरेख में कराया जायेगा। जिप्सम वितरण का अनुश्रवण सम्बन्धित जनपदीय उप कृषि निदेशक, जिला कृषि अधिकारी द्वारा किया जायेगा। मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक द्वारा नियमित रूप से एवं अपने भ्रमण के दौरान रेण्डम आधार पर भी जिप्सम वितरण का अनुश्रवण किया जायेगा। कृषि निदेशक जनपद एवं मण्डल से योजना की प्रगति की सूचना प्राप्त कर शासन को उपलब्ध करायेंगे।

8- योजना का विवरण:- (वर्ष 2019-20 हेतु भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य)

यू0पी0एग्रो द्वारा जिप्सम वितरण का अनुमानित मूल्य रू0 5350 प्रति मै0टन आगणित किया गया है, जिसके आधार पर प्रस्ताव निम्नवत् है:-

(धनराशि लाख रू0 में)

योजनाओं का नाम	भौतिक लक्ष्य (मै0टन)	कुल लागत रू0 5350 प्रति मै0टन	केन्द्रांश (50 प्रतिशत देय)	राज्यांश (25 प्रतिशत देय)	लाभार्थी अंश (25 प्रतिशत देय)
अ-केन्द्रीय योजनायें	8889	475.56	237.78	118.89	118.89
ब- इंटीग्रेटेड डेवलपमेन्ट प्रोग्राम फार जिप्सम डिस्ट्रीब्यूशन (आर0के0वी0वाई0 से)	12348	660.62	330.31	165.16	165.16
महायोग	**21237**	**1136.18**	**568.09**	**284.05**	**284.05**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

कृषकों को अंतिम निर्धारित मूल्य के अनुसार ही विक्रय एवं अनुदान का वितरण किया जाएगा।

3- आगामी वर्षों के लिए उपरोक्तानुसार प्रत्येक वर्ष जिप्सम के वितरण पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत का अनुदान कृषकों को प्रदान किया जायेगा।

4- प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बजट में प्राविधानित धनराशि की सीमा तक वार्षिक कार्य योजना पर शासन से सहमति प्राप्त करते हुए योजना का क्रियान्वयन कराया जायेगा।

5- योजनान्तर्गत आवश्यतानुसार विशेष परिस्थिति में जनपदों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों में परिवर्तन/संशोधन मा0 कृषि मंत्री जी की सहमति से किया जायेगा।

6- शासनादेश संख्या-781/12-5-2019-100(9)/2009, दिनांक 27 जून, 2019 में अंकित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

कृपया उक्तानुसार योजना का क्रियान्वयन प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय
अमित मोहन प्रसाद
प्रमुख सचिव।

संख्या-39/2019/1026(1)/12-5-2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 द्वारा कृषि निदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
3. निदेशक, मण्डी परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. अपर कृषि निदेशक (भू0सं0) उ0प्र0/प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 स्टेट एग्रो, लखनऊ।
6. समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक/उप कृषि निदेशक, उ0प्र0।
7. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
8. नियोजन अनुभाग-3/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/कृषि अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
बृजराज सिंह यादव
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।